

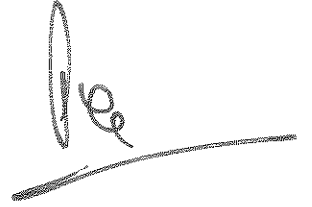
भाग-iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

Recommended for approval

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)



डा० परमानन्द कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,
उ०प्र०, लखनऊ

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर

दिनांक- 16.03.2018

स्थान- Lucknow.